न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 970 / 2022

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गोविन्दराम पुत्र श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र चोथु जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर
5. कंवरपाल पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर। **–वादीगण**

बनाम्

1. शान्ती देवी पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील।
2. कैलाश देवी पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
4. धापा पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
5. समेस्ता पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री तीजा देवी जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
7. राजबाला पुत्री तीजा देवी जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
8. सतपाल पुत्र तीजा देवी जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
9. मन्जू पुत्री पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
10. महेन्द्रा पुत्री पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
11. कमला पत्नी चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
12. मन्जू पुत्री चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
13. रेणु पुत्री चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
14. पार्वती पुत्री चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक:** 25/10/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 138 / 138 कुल 0.5060 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व खाता संख्या 139/139 की कुल 1.5180 है0 भूमि व खाता संख्या 137/137 की कुल 17.2040 है0 भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 की कुल 2.0240 है0 मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 जो कि वादीगण संख्या 1 ता 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व मामा के बच्चों कक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 9 ता 10 जो कि वादी संख्या 4 ता 5 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 12 ता 14 जो कि वादी संख्या 3 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 10 व 12 ता 14 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 11 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 14 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं संशोधित दावा पेश किया गया जिस पर वकील प्रतिवादी को एतराज नही होने के कारण स्वीकार किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा 4 आरपीएम खाता सं0 137, 138, 139, रोही मौजा 17 केएनएन खाता संख्या 68, पारिवारिक समझौता अ[illegible] किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 138/138 की कुल 0.5060 है0 व खाता संख्या 139/139 की कुल 1.5180 है0 भूमि व खाता संख्या 137/137 की कुल 17.2040 है0 भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 की कुल 2.0240 है0 मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 14 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 138/138 कि कुल 0.5060 है0 व खाता संख्या 139/139 कि कुल 1.5180 है0 भूमि व खाता संख्या 137/137 की कुल 17.2040 है0 भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 68/70 की कुल 2.0240 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 11 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 137/137 की कुल ... व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 68/70 की कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 व प्रतिवादी स0 11 को संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी स0 9 व 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 4 व 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 970 / 2022

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गोविन्दराम पुत्र श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र चोथु जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर
5. कंवरपाल पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर– **वादीगण**

बनाम्

1. शान्ती देवी पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील।
2. कैलाश देवी पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
4. धापा पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
5. समेस्ता पुत्री श्योकरण जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री तीजा देवी जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
7. राजबाला पुत्री तीजा देवी जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
8. सतपाल पुत्र तीजा देवी जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
9. मन्जू पुत्री पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
10. महेन्द्रा पुत्री पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
11. कमला पत्नी चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
12. मन्जू पुत्री चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
13. रेणु पुत्री चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
14. पार्वती पुत्री चोथुराम जाति नायक निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 970 सन 2022 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद व[illegible]कार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 आरपी[illegible] सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 138 / 138 कि कुल 0.5060 है0 व खाता सं[illegible] 139 / 139 कि कुल 1.5180 है0 भूमि व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 137/137 की कुल 17.2040 है0 भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 68/70 की कुल 2.0240 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 11 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 137/137 की कुल 17.2040 है0 भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 68/70 की कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 व प्रतिवादी स0 11 को संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी स0 9 व 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 4 व 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 25/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested